Formation of experts' group on Transfer of Water

2802. SHRI YERRA NARAYANASWAMY: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that an Expert Committee is being formed to study the possibility of transfer of water from surplus basis to deficit areas;

(b) whether such data has already been collected by the Central Water Commission; and

(c) if so, the justification of the appointment of the new panel?

THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI JANESHWAR MISHRA): (a) Yes, Sir. A National Commission has been set up on 13.9.1996 with comprehensive terms of reference. One of the terms of reference if transfer of water to water deficit basins by inter linking of rivers.

(b) Such data for integrated water resources development plan in the country covering all aspects has not been collected so far by Central Water Commission.

(c) There is an urgent need of studying the status of water resources development for various purposes. To have an overall idea of the total water demand vis-a-vis the availability of water, to maximise the availability of water by diverting water from surlus basins to water deficit basins as well as to expedite completion of ongoing river valley projects.

खराब टेलीफोनों की जांच करने में विलम्ब करना

2803. **श्री ईश दत्त यादव:**
श्री नागमणि:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भ्रष्टाचार और कर्मचारियों की लापरवाही के कारण खराब टेलीफोनों को ठीक करने में कई-कई दिन तक लग जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या यह सच है कि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी खराब टेलीफोनों को ठीक करने के लिए उत्तरदायी नहीं है जिससे टेलीफोन खराब पड़े रहते हैं और उपभोक्ताओं को अपने टेलीफोन ठीक कराने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) कुछ ऐसे नामोद्दिष्ट (डेजिगनेटेड) अधिकारी हैं, जो टेलीफोनों को ठीक करने के लिए जिम्मेदार हैं। जब कभी, उपभोक्ताओं से भ्रष्टाचार तथा लापरवाही की शिकायतें मिलती हैं, तब जिम्मेदारी निर्धारित करने और दोषी कर्मचारियों को दंड देने के लिए तुरंत कार्रवाई की जाती है।

दिल्ली सरकार द्वारा मांगी गयी धनराशि

2804. **प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली सरकार ने केन्द्रीय सरकार को यह शिकायत की है कि उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा देय धनराशि नहीं दी जा रही है;

(ख) दिल्ली सरकार द्वारा मांगी गयी मद-वार धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा धनराशि न देने के क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) से (ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने केन्द्रीय योजनागत सहायता बहाल करने और केन्द्रीय करों में अपने हिस्से के आवंटन का अनुरोध किया है। केन्द्रीय योजनागत सहायता पहले से ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को दी जा रही है लेकिन इस समय इसे, दिल्ली विद्युत आपूर्ति उपक्रम द्वारा बदरपुर ताप विद्युत गृह को देय चालू देनदारी के अन्तर को पूरा करने के लिए व्यपवर्तित किया जा रहा है। केन्द्रीय करों में हिस्से से संबंधित मामले पर सरकार विचार कर रही है।

Technology upgradation programme for Defence Forces

2805. PROF. RAM KAPSE: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether Government propose to initiate a technology upgradation

programme in the Defence Forces so as to make them more technically advanced;

(b) whether Government propose to tackle the manpower shortage, through implementation of the above programme so as to reduce the non-plan expenditure also;

(c) if so, the details thereof; and

(d) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI N.V.N. SOMU): (a) Continuous efforts are made for technology upgradation in the Defence forces, as a part of the modernisation programme which in itself is an ongoing process.

(b) to (d) Manpower management is carried out having regard to the security environment foreseen and the weapons and platforms likely to be deployed. The modernisation schemes are also designed to optimise the use of the available resources, including manpower resources, which maintaining the required level of defence preparedness.

जनजातीय उपयोजना के अन्तर्गत सिंचाई

2806. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सच है कि वन (संरक्षण अधिनियम, 1980) के कार्यान्वयन के बाद भी जनजातीय उपयोजना के अन्तर्गत सिंचित भूमि का क्षेत्र पहले जितना ही है;

(ख) यदि हां, तो उसे बढ़ाने के लिए क्या-क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) क्या यह सच है कि इसके लिए केवल बांध/उत्थापन सिंचाई ही उपयुक्त है; और

(घ) यदि हां, तो इसके लिए क्या-क्या प्रावधान दिये जा रहे हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र): (क) और (ख) वर्ष 1979-80 से 1993-94 की अवधि के दौरान आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत बृहद और मध्यम परियोजनाओं के जरिए चरम सिंचाई क्षमता में 1.55 मिलियन हेक्टेयर की वृद्धि हुई है।

(ग) और (घ) आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में सिंचाई के लिए वृहद, मध्यम और लघु सिंचाई स्कीमें, सतही और उप-सतही दोनों सहित सिंचाई के सभी साधन उपयुक्त हैं। सिंचाई राज्य का विषय है और सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, क्रियान्वयन और चित्त पोषण राज्यों द्वारा उनकी प्राथमिकताओं तथा उनके पास उपलब्ध संसाधनों के अनुसार किया जाता है।

छत्तीसगढ़ क्षेत्र को आप्टिकल फायबर केबल लाइन से जोड़ना

2807. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ क्षेत्र के उन स्थानों के नाम क्या-क्या हैं जिन्हें 1996-97 के दौरान आप्टिकल फायबर केबल लाइन के साथ जोड़कर टेलीफोन सुविधाएं उपलब्ध कराने का विचार है;

(ख) उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां तक कि उपरोक्त कार्य को करने के संबंध में मंजूरी दे दी गयी है और उन स्थानों के नाम क्या-क्या हैं जिनके लिए मंजूरी अभी दी जानी है; और

(ग) रायगढ़ जिले के जशपुर शहर को आप्टिकल फायबर केबल के साथ जोड़ने के लिए किये जा रहे कार्य को प्रगति का ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा): (क) वर्ष 1996-97 के दौरान मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ क्षेत्र के निम्नलिखित स्थानों पर ऑप्टिकल फाइबर केबल प्रदान करने की योजना बनाई गई है, बशर्ते कि उपस्कर उपलब्ध हो:

1. घरघोदा 2. कुदमकेला 3. धुर्मजयगढ़ 4. पाथालगांव 5. लुदेग 6. कासाबेल 7. कुनकुन 8. जाशपुरनगर 9. रायगढ़ 10. बिलासपुर 11. चंपा 12. सक्ती 13. अकालतारा 14. नैला 15. बारादवार 16. खुर्सिया 17. सिमगा 18. बिलहा 19. दामाखेडा

(ख) वही, जैसा उपर्युक्त "क" में बताया गया है। कोई मंजूरियां लंबित नहीं है।

(ग) रायगढ़-घरघोदा मार्ग पर कार्य 28.11.96 को आरंभ हो गया है और यह 1996-97 के दौरान पूरा किए जाने का लक्ष्य है। घरघोदा-जशपुर नगर का कार्य 1997-98 के दौरान पूरा हो जाएगा।